प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(माननीय न्यायाधीश श्री प्रीतिंकर दिवाकर)

रिट याचिका (सेवा मामले) संख्या 2913/2009

रिट याचिका (सेवा मामले) संख्या 2780/2009

रिट याचिका (सेवा मामले) संख्या 2794/2009

रिट याचिका (सेवा मामले) संख्या 2795/2009

रिट याचिका (सेवा मामले) संख्या 2796/2009

रिट याचिका (सेवा मामले) संख्या 2797/2009

रिट याचिका (सेवा मामले) संख्या 2798/2009

रिट याचिका (सेवा मामले) संख्या 2799/2009

रिट याचिका (सेवा मामले) संख्या 2800/2009

रिट याचिका (सेवा मामले) संख्या 2801/2009

रिट याचिका (सेवा मामले) संख्या 2802/2009

रिट याचिका (सेवा मामले) संख्या 2803/2009

रिट याचिका (सेवा मामले) संख्या 2804/2009

रिट याचिका (सेवा मामले) संख्या 2805/2009

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सेवा मामले) संख्या 2806/2009

रिट याचिका (सेवा मामले) संख्या 2858/2009

रिट याचिका (सेवा मामले) संख्या 2877/2009

रिट याचिका (सेवा मामले) संख्या 2947/2009

रिट याचिका (सेवा मामले) संख्या 2948/2009

रिट याचिका (सेवा मामले) संख्या 2571/2009

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिनांक 19.08.2009 को आदेश हेतु सूचीबद्ध करें ।

सही/-
प्रीतिंकर दिवाकर
न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय

(माननीय न्यायाधीश प्रिंतिकर दिवाकर)

रिट याचिका (सेवा मामले) 2913/2009

याचिकाकर्तागण त्रिविक्रम प्रधान एवं अन्य

विरुद्ध

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकर्ताओं के लिए श्री मतीन सिद्दीकी, अधिवक्ता

उत्तरवादी/राज्य के लिए श्री किशोर भादुड़ी, अतिरिक्त महाधिवक्ता

उत्तरवादी-राजीव गाँधी शिक्षा मिशन के लिए श्री ए.एस. कछवाहा, अधिवक्ता

रिट याचिका (सेवा मामले) 2780/2009

याचिकाकर्तागण	विपिन कुमार वर्मा
	विरुद्ध
उत्तरवादीगण	छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकर्ताओं के लिए श्री मतीन सिद्दीकी, अधिवक्ता

उत्तरवादी/राज्य के लिए श्री किशोर भादुड़ी, अतिरिक्त महाधिवक्ता

उत्तरवादी-राजीव गाँधी शिक्षा मिशन के लिए श्री ए.एस. कछवाहा, अधिवक्ता

रिट याचिका (सेवा मामले) 2794/2009

याचिकाकर्तागण महेंद्र शर्मा

विरुद्ध

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकर्ताओं के लिए श्री राजीव श्रीवास्तव, अधिवक्ता

उत्तरवादी/राज्य के लिए श्री किशोर भादुड़ी, अतिरिक्त महाधिवक्ता

उत्तरवादी-राजीव गाँधी शिक्षा मिशन के लिए श्री ए.एस. कछवाहा, अधिवक्ता

रिट याचिका (सेवा मामले) 2795/2009

याचिकाकर्तागण जय नारायण

ण साहू

<u>विरुद्ध</u>

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़

राज्य एवं

अन्य

याचिकर्ताओं के लिए श्री राजीव श्रीवास्तव, अधिवक्ता

उत्तरवादी/राज्य के लिए श्री किशोर भादुड़ी,

अतिरिक्त महाधिवक्ता

उत्तरवादी-राजीव गाँधी शिक्षा मिशन के लिए श्री

ए.एस. कछवाहा, अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सेवा मामले) 2796/2009

याचिकाकर्ताग रामानुज शर्मा

ण

<u>विरुद्ध</u>

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

याचिकर्ताओं के लिए श्री राजीव श्रीवास्तव, अधिवक्ता

उत्तरवादी/राज्य के लिए श्री किशोर भादुड़ी, अतिरिक्त महाधिवक्ता

उत्तरवादी-राजीव गाँधी शिक्षा मिशन के लिए श्री ए.एस. कछवाहा, अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सेवा मामले) 2797/2009

याचिकाकर्तागण समर सिंह ठाकुर

विरुद्ध

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं

अन्य

याचिकर्ताओं के लिए श्री राजीव श्रीवास्तव, अधिवक्ता

उत्तरवादी/राज्य के लिए श्री किशोर भादुड़ी, अतिरिक्त महाधिवक्ता

उत्तरवादी-राजीव गाँधी शिक्षा मिशन के लिए श्री ए.एस. कछवाहा, अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सेवा मामले) 2798/2009

याचिकाकर्तागण रति राम सोनवानी

विरुद्ध

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

याचिकर्ताओं के लिए श्री राजीव श्रीवास्तव, अधिवक्ता

उत्तरवादी/राज्य के लिए श्री किशोर भादुड़ी, अतिरिक्त महाधिवक्ता

उत्तरवादी-राजीव गाँधी शिक्षा मिशन के लिए श्री ए.एस. कछवाहा, अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सेवा मामले) 2799/2009

याचिकाकर्तागण काशी राम साहू

<u>विरुद्ध</u>

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

याचिकर्ताओं के लिए श्री राजीव श्रीवास्तव, अधिवक्ता

उत्तरवादी/राज्य के लिए श्री किशोर भादुड़ी,

अतिरिक्त महाधिवक्ता

उत्तरवादी-राजीव गाँधी शिक्षा मिशन के लिए श्री

ए.एस. कछवाहा, अधिवक्ता

रिट याचिका (सेवा मामले) 2800/2009

याचिकाकर्तागण सूर्य कांत वाजपेयी

विरुद्ध

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकर्ताओं के लिए श्री राजीव श्रीवास्तव, अधिवक्ता

उत्तरवादी/राज्य के लिए श्री किशोर भादुड़ी,

अतिरिक्त महाधिवक्ता

उत्तरवादी-राजीव गाँधी शिक्षा मिशन के लिए श्री

ए.एस. कछवाहा, अधिवक्ता

रिट याचिका (सेवा मामले) 2801/2009

याचिकाकर्तागण अमर सिंह पटेल

<u>विरुद्ध</u>

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

याचिकर्ताओं के लिए श्री राजीव श्रीवास्तव, अधिवक्ता

उत्तरवादी/राज्य के लिए श्री किशोर भादुड़ी, अतिरिक्त महाधिवक्ता

उत्तरवादी-राजीव गाँधी शिक्षा मिशन के लिए श्री ए.एस. कछवाहा, अधिवक्ता

रिट याचिका (सेवा मामले) 2802/2009

याचिकाकर्तागण देव प्रसाद भरद्वाज

<u>विरुद्ध</u>

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकर्ताओं के लिए श्री राजीव श्रीवास्तव, अधिवक्ता

उत्तरवादी/राज्य के लिए श्री किशोर भादुडी, अतिरिक्त महाधिवक्ता

उत्तरवादी-राजीव गाँधी शिक्षा मिशन के लिए श्री ए.एस. कछवाहा, अधिवक्ता

रिट याचिका (सेवा मामले) 2803/2009

याचिकाकर्तागण जमुना किशोर शर्मा

<u>विरुद्ध</u>

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकर्ताओं के लिए श्री राजीव श्रीवास्तव, अधिवक्ता

उत्तरवादी/राज्य के लिए श्री किशोर भादुड़ी, अतिरिक्त महाधिवक्ता

उत्तरवादी-राजीव गाँधी शिक्षा मिशन के लिए श्री ए.एस. कछवाहा, अधिवक्ता

रिट याचिका (सेवा मामले) 2804/2009

याचिकाकर्तागण राजेन्द्र कुमार केशर

<u>विरुद्ध</u>

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

याचिकर्ताओं के लिए श्री राजीव श्रीवास्तव, अधिवक्ता

उत्तरवादी/राज्य के लिए श्री किशोर भादुड़ी, अतिरिक्त महाधिवक्ता

उत्तरवादी-राजीव गाँधी शिक्षा मिशन के लिए श्री ए.एस. कछवाहा, अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सेवा मामले) 2805/2009

याचिकाकर्तागण मोती लाल भरद्वाज

<u>विरुद्ध</u>

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़

राज्य एवं

अन्य

याचिकर्ताओं के लिए श्री राजीव श्रीवास्तव, अधिवक्ता

उत्तरवादी/राज्य के लिए श्री किशोर भादुड़ी, अतिरिक्त महाधिवक्ता

उत्तरवादी-राजीव गाँधी शिक्षा मिशन के लिए श्री ए.एस. कछवाहा, अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सेवा मामले) 2806/2009

याचिकाकर्तागण परस राम सोनवानी

<u>विरुद्ध</u>

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

याचिकर्ताओं के लिए श्री राजीव श्रीवास्तव, अधिवक्ता

उत्तरवादी/राज्य के लिए श्री किशोर भादुड़ी, अतिरिक्त महाधिवक्ता

उत्तरवादी-राजीव गाँधी शिक्षा मिशन के लिए श्री ए.एस. कछवाहा, अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सेवा मामले) 2858/2009

याचिकाकर्तागण ईश्वर प्रसाद तिवारी

<u>विरुद्ध</u>

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

याचिकर्ताओं के लिए श्री पी.पी. साहू, अधिवक्ता

भारत संघ के लिए श्री राघवेन्द्र प्रधान, अधिवक्ता

उत्तरवादी/राज्य के लिए श्री किशोर भादुड़ी, अतिरिक्त महाधिवक्ता

उत्तरवादी-राजीव गाँधी शिक्षा मिशन के लिए श्री ए.एस. कछवाहा, अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सेवा मामले) 2877/2009

याचिकाकर्तागण आदित्य शुक्ला

<u>विरुद्ध</u>

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

याचिकर्ताओं के लिए श्री राजीव श्रीवास्तव, अधिवक्ता

उत्तरवादी/राज्य के लिए श्री किशोर भादुड़ी, अतिरिक्त महाधिवक्ता

उत्तरवादी-राजीव गाँधी शिक्षा मिशन के लिए श्री ए.एस. कछवाहा, अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सेवा मामले) 2947/2009

याचिकाकर्तागण भगत सिंह और अन्य

<u>विरुद्ध</u>

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

याचिकर्ताओं के लिए श्री महेंद्र दुबे, अधिवक्ता

उत्तरवादी/राज्य के लिए श्री किशोर भादुड़ी, अतिरिक्त महाधिवक्ता

उत्तरवादी-राजीव गाँधी शिक्षा मिशन के लिए श्री ए.एस. कछवाहा, अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सेवा मामले) 2948/2009

याचिकाकर्तागण शेष नारायण शर्मा और अन्य

<u>विरुद्ध</u>

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

याचिकर्ताओं के लिए श्री महेंद्र दुबे, अधिवक्ता

उत्तरवादी/राज्य के लिए श्री किशोर भादुड़ी,

अतिरिक्त महाधिवक्ता

उत्तरवादी-राजीव गाँधी शिक्षा मिशन के लिए श्री

ए.एस. कछवाहा, अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सेवा मामले) 2571/2009

याचिकाकर्तागण जयजयराम तिवारी और अन्य

<u>विरुद्ध</u>

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

याचिकर्ताओं के लिए श्री पी.पी. साहू, अधिवक्ता

भारत संघ के लिए श्री राघवेन्द्र प्रधान,

अधिवक्ता

उत्तरवादी/राज्य के लिए श्री किशोर भादुड़ी,

अतिरिक्त महाधिवक्ता

उत्तरवादी-राजीव गाँधी शिक्षा मिशन के लिए श्री

ए.एस. कछवाहा, अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्रस्तुत रिट याचिका

आदेश

19.08.2009

चूँकि उपर्युक्त सभी रिट याचिकाओं में अंतर्विष्ट विवाद एक ही प्रकृति के हैं, इसलिए इन्हें इस समान आदेश द्वारा निराकृत किया जाता है।

2. इन सभी याचिकाओं में विभिन्न विज्ञापनों के जारी होने और राज्य सरकार की उस कार्रवाई को चुनौती दी गई है जिसके द्वारा सर्व शिक्षा

अभियान के अंतर्गत संकुल अकादमिक सह-समन्वयक (संक्षेप में "समन्वयक") की नियुक्ति हेतु परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव द्वारा लिखे गए पत्र दिनांक 13.2.2009 के अनुसरण में लिया गया है, जो निम्नानुसार है:

प्रति,

मिशन संचालक,
राजीव गांधी शिक्षा मिशन, छत्तीसगढ़, रायपुर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विषय: सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत क्लस्टर अकादमिक समन्वयक की नियुक्ति मानदंड के संबंध में।

अब तक, प्रभारी संकुल शैक्षणिक समन्वयक को जिला कलेक्टर द्वारा निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर लिया जाता था। संकुल शैक्षणिक समन्वयक के पद पर नियुक्ति हेतु ऐसे शिक्षक जो स्नातक, बी.एड., बी.टी.आई., प्रशिक्षित शिक्षक हैं, जिनका वेतनमान ₹5000-8000, न्यूनतम आयु 45 वर्ष है, जिनके पास व्यापक भ्रमण क्षमता, उत्तम स्वास्थ्य, शिक्षक के पद पर 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव है, को प्राथमिकता दी जाती है।

वर्तमान में जो नियुक्ति प्रक्रिया प्रवृत्त है, वह जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अनुशंसित और कलेक्टर द्वारा नियुक्त उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के लिए है। चूँकि नियुक्ति का आधार केवल जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा

अनुशंसित है, इसलिए कई स्थानों पर सहायक शिक्षक भी बिना निर्धारित मापदंड पूरे किए ही कार्यभार संभाल रहे हैं।

जब नियुक्त क्लस्टर अकादमिक समन्वयक ज्ञानवान और कुशल होगा, तो पाठ्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार होगा। संपूर्ण चयन प्रक्रिया और पात्रता निम्नानुसार है -

1. क्लस्टर अकादमिक समन्वयक के पद हेतु न्यूनतम योग्यता स्नातक, बी.एड., बी.टी.आई. (डी.एड.), प्रशिक्षित शिक्षक, वेतनमान 5000-8000 रुपये, अधिकतम आयु 55 वर्ष, व्यापक भ्रमण क्षमता, उत्तम स्वास्थ्य है तथा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव रखने वाले **"शिक्षक"** की इस पद पर नियुक्ति प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. कलेक्टर उपर्युक्त मानदंडों के आधार पर क्लस्टर अकादमिक समन्वयक के पद हेतु विज्ञापन जारी करेंगे।

3. जिला पंचायत उपर्युक्त पात्रता के आधार पर आवेदन आमंत्रित कर उसका सत्यापन करेंगे।

4. संबंधित जिले के **DIET** द्वारा योग्य अभ्यर्थियों की संक्षिप्त परीक्षा ली जाएगी। प्रथम भाग में कक्षा 1 से 8वीं तक के विषय ज्ञान से संबंधित पाठ्यक्रम, तथा द्वितीय भाग में 'शिक्षण अभिक्षमता' से संबंधित प्रश्न होंगे। शिक्षण अभिक्षमता के परीक्षण हेतु शिक्षा के सिद्धांत, शैक्षिक मनोविज्ञान, शैक्षिक नवाचार, कौशल आदि से संबंधित प्रश्न होंगे। साक्षात्कार विषय ज्ञान, नेतृत्व कौशल, प्रबंधन कौशल, संचार कौशल, समस्या समाधान कौशल, प्रस्तुति कौशल एवं अन्य योग्यताओं के परीक्षण पर आधारित होगी। लिखित परीक्षा में 80% अंक रखे जाएंगे। जिसमें

50-50 अंक रखे जा सकते हैं अथवा भाग-1 एवं भाग-1I की लिखित परीक्षा, साक्षात्कार हेतु 20% अंक रखे जाएंगे।

5. चयन प्रक्रिया के लिए जिला स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, जिला परियोजना समन्वयक (सदस्य) तथा प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (सदस्य सचिव) होंगे।

6. लिखित परीक्षा के बाद चयनित अभ्यर्थियों को चयन समिति के समक्ष साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना होगा, जो बिंदु संख्या 4 में उल्लिखित अनुसार होगा तथा सकारात्मक सोच, व्यापक भ्रमण क्षमता का आकलन किया जाएगा। क्लस्टर अकादमिक समन्वयक का चयन कलेक्टर के अनुमोदन के पश्चात साक्षात्कार के 20% अंकों और लिखित परीक्षा के 80% अंकों के संयोजन के आधार पर किया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. सभी पुराने एवं नये संकुल शैक्षणिक समन्वयक का चयन संक्षिप्त परीक्षा के आधार पर किया जाएगा।

8. संकुल शैक्षणिक समन्वयक के पद पर प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों का चयन नहीं किया जाएगा।

9. नियुक्ति अधिकतम 5 वर्षों के लिए की जाएगी। चयन के पश्चात् यदि कार्यकुशलता में कोई कमी पाई जाती है तो एक माह पूर्व सूचना देकर मूल पद पर कार्यमुक्त किया जाए।

10. किसी भी संकुल में, जहाँ शिक्षकों द्वारा आवेदन प्राप्त नहीं हुआ हो अथवा पात्र शिक्षक उपलब्ध न हों, शिक्षाकर्मी-02 द्वारा भी पद भरा जा सकता है।

3. इन याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं की मुख्य शिकायत यह है कि वे 1996 से समन्वयक के पद पर कार्यरत हैं और लगभग 12 वर्षों की अवधि बीत जाने के बाद उन्हें हटाकर कोई नई भर्ती नहीं की जा सकती। सहायक अध्यापकों, प्रधानाध्यापकों और उच्च श्रेणी अध्यापकों द्वारा ये रिट याचिकाएँ इस तर्क के साथ दायर की गई हैं कि पहली बात तो यह कि उन्हें जिला स्तर पर आयोजित होने वाली परीक्षा में सम्मिलित की आवश्यकता नहीं है और दूसरी बात यह कि जिन सहायक अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों को परीक्षा में शामिल होने से रोका गया है, उन्हें परीक्षा में भाग लेने का पूरा अधिकार है और उन्हें परीक्षा में भाग लेने से वंचित नहीं किया जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. वर्ष 1996 में भारत सरकार ने एक योजना शुरू की, जिसे सामान्यतः जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (संक्षेप में "डीपीईपी") के नाम से जाना जाता है, जिसका उद्देश्य समाज के वंचित लोगों

को प्राथमिक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना था। प्रारंभ में, डीपीईपी योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार 75 प्रतिशत और शेष 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती थी। इसमें कोई विवाद नहीं है कि वर्तमान में केंद्र सरकार 65 प्रतिशत और शेष 35 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है। डीपीईपी योजना का पहला और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य शिक्षा में गुणात्मक सुधार सुनिश्चित करना था। डीपीईपी योजना का पहला और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य शिक्षा में गुणात्मक सुधार सुनिश्चित करना था। शिक्षा में गुणात्मक सुधार के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, पच्चीस से तीस शिक्षकों की एक इकाई (जिसे "संकुल" नाम दिया गया है) स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की गई और इस प्रकार एक स्कूल में एक संकुल केंद्र की स्थापना की गई और एक संकुल विशेष के 8 किलोमीटर के दायरे में स्थित सभी स्कूल इसमें सम्मिलित किये गये। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से, निरंतर निगरानी और प्रतिपुष्टि के माध्यम से शिक्षकों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

के लिए एक संकुल शैक्षणिक समन्वयक (संक्षेप में 'समन्वयक') की नियुक्ति की गई।

5. डीपीईपी योजना की शुरुआत के बाद, वर्ष 1996-97 में समन्वयकों की नियुक्ति करते समय, राज्य सरकार ने कुछ शिक्षकों को समन्वयक के रूप में नियुक्त किया और उन्हें शिक्षा प्रदान करने और कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में पर्यवेक्षण की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. इसमें कोई विवाद नहीं है कि जिला शिक्षा अधिकारी संबंधित शिक्षक को समन्वयक पद के लिए नामित करते थे और फिर कलेक्टर द्वारा अनुमोदन के बाद समन्वयक अपना कार्य शुरू करते थे। समन्वयकों का मुख्य कार्य निगरानी और प्रतिपुष्टि पद्धति द्वारा व्यवस्था में सुधार लाना और संकुलों के विद्यालयों के बीच उचित समन्वय स्थापित करना है। इसमें भी कोई विवाद नहीं है कि प्रारंभ में इन समन्वयकों को कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाता था, लेकिन 2007-08 से उन्हें मानदेय के रूप में प्रति माह 275 रुपये का भुगतान किया जा रहा है। इसमें भी

कोई विवाद नहीं है कि इन समन्वयकों को यह मानदेय इसलिए दिया जाता है क्योंकि उन्हें 8 किलोमीटर के दायरे में स्थित विभिन्न विद्यालयों का दौरा करना होता है। इसी योजना का नाम वर्ष 2002-03 में बदलकर सर्व शिक्षा अभियान कर दिया गया और समन्वयक अभी भी अपनी प्रारंभिक नियुक्ति के अनुसार अपना कार्य कर रहे हैं। यह निर्विवाद है कि वर्ष 1996 से सर्व शिक्षा अभियान यानी 2002-03 की शुरुआत तक, इस योजना का उद्देश्य केवल कक्षा 5 तक के छात्रों को शिक्षा प्रदान करना और उसमें गुणात्मक सुधार करना था। हालाँकि, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत के बाद, इस योजना का विस्तार कक्षा 8वीं तक के छात्रों तक हो गया। हालाँकि कुछ याचिकाकर्ता सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं, लेकिन उनकी योग्यता ऐसी है कि उन्हें उच्च श्रेणी शिक्षक या व्याख्याता के रूप में नियुक्त किया जा सकता था और वे हमेशा उच्च कक्षाओं को पढ़ा सकते थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. अधिकांश याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित श्री राजीव श्रीवास्तव का तर्क यह है कि एक बार जब याचिकाकर्ता की वर्ष 1996 के बाद समन्वयक के रूप में नियुक्ति हो गई है और लगभग 13 वर्षों तक कार्य कर चुके हैं, तो उन्हें उनके पद से हटाया नहीं जा सकता है और यदि राज्य सरकार समन्वयकों के पदों को भरना चाहती है, तो वह अपनी इच्छानुसार कोई भी कार्यप्रणाली अपनाने के लिए स्वतंत्र है, परन्तु याचिकाकर्ताओं की वर्तमान स्थिति को प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने विभिन्न पत्र प्रस्तुत किए हैं जिनमें दर्शाया गया है कि याचिकाकर्ताओं का प्रदर्शन संतोषजनक पाया गया था और अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि समन्वयकों को किसी अन्य कार्य में न लगाया जाए ताकि उनके प्रदर्शन की दक्षता किसी भी प्रतिकूलता से अप्रभावित रहे। उन्होंने आगे तर्क दिया कि समन्वयक के रूप में याचिकाकर्ताओं के प्रदर्शन की बार-बार सराहना की गई है और उन्हें कोई अन्य कार्य न सौंपने के विशिष्ट निर्देश जारी किए गए हैं जो अंततः समन्वयकों के काम में बाधा बन जाए। इनमें से कुछ पत्र मिशन निदेशक, रायपुर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

द्वारा भी जारी किए गए हैं। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि कुछ पत्रों में मिशन निदेशक ने स्वीकार किया है कि समन्वयकों को प्रशिक्षित करने और उनकी क्षमता को बढ़ाने में बहुत समय लगता है। उन्होंने कहा कि यदि समन्वयकों को किसी अन्य क्षेत्र में लगाया जाता है, तो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य निष्फल हो जाएगा। उन्होंने तर्क दिया कि समन्वयक के रूप में नियुक्ति के बाद याचिकाकर्ताओं ने विभिन्न प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं और कड़ी मेहनत के बाद, वे इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो सके हैं। उनका कहना है कि समन्वयकों को प्रशिक्षण देते समय न केवल याचिकाकर्ताओं ने अपना बहुमूल्य समय दिया है और कड़ी मेहनत की है, अपितु शासन ने भी इसमें बहुत समय और पैसा लगाया है। उन्होंने आगे तर्क व्यक्त किया है कि नई तथाकथित योजना शुरू करने और पुराने समन्वयकों को हटाने और फिर नए सिरे से समन्वयक नियुक्त करने का कोई आधार नहीं है। उनके अनुसार, सरकार का यह कहना कि याचिकाकर्ताओं का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं था, निराधार है क्योंकि अगर कोई समन्वयक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है, तो उसे कभी भी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हटाया जा सकता है, जैसा कि कुछ मामलों में पहले ही किया जा चुका है। उनका कहना है कि नए सिरे से की जा रही पूरी प्रक्रिया बेकार है और प्राप्त किये जाने वाले उद्देश्य के विपरीत है। उन्होंने तर्क दिया कि सरकार ने इस बात पर अपना पक्ष नहीं रखा है कि याचिकाकर्ताओं का प्रदर्शन असंतोषजनक कैसे पाया गया।

8. श्री श्रीवास्तव ने तर्क दिया है कि विज्ञापन की शर्त (अनुलग्नक पी-2) के अनुसार, शिक्षकों, शिक्षाकर्मियों ग्रेड-II से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। उनके अनुसार, शिक्षक, चाहे वे सहायक शिक्षक हों या उच्च श्रेणी शिक्षक या प्रधानाध्यापक, परीक्षा में भाग लेने के हकदार हैं। नियम 2(9) में "शिक्षक" शब्द की परिभाषा दी गई है और इसमें प्रयोगशाला सहायक, शिल्प शिक्षक, प्रशिक्षक, व्याख्याता, सहायक शिक्षक, प्राध्यापक और अन्य सभी व्यक्ति शामिल हैं जो शिक्षण कार्य में लगे हैं। उन्होंने तर्क दिया कि नीतिगत मामलों में भी न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है क्योंकि अनुच्छेद 226 के तहत दायरा सीमित नहीं है। उन्होंने **मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम हजारीलाल**[1] मामले में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[1] (2008) 3 SCC 273

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया और कहा कि न्यायिक समीक्षा के विधिक मापदंडों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप, अनुचितता के सिद्धांत को आनुपातिकता के सिद्धांत द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

9. अधिवक्ता श्री राजीव श्रीवास्तव ने आगे तर्क दिया कि राज्य सरकार के पास नियम में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन पूर्वव्यापी प्रभाव से नहीं। इस तर्क को पुष्ट करने के लिए उन्होंने **पी.यू. जोशी एवं अन्य बनाम महालेखाकार, अहमदाबाद एवं अन्य, तथा भारत संघ एवं अन्य बनाम बासुदेव दोरा और अन्य**[2] 2 के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का अवलंब लिया। इस तर्क के संबंध में उन्होंने **मरिपति नकरैया एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश सरकार एवं अन्य**[3] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के एक अन्य निर्णय का भी अवलंब लिया। जहाँ तक इस तथ्य का प्रश्न है कि याचिकाकर्ता पहले ही विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, उन्होंने **उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश परिवहन निगम शिशुक्स बेरोजगार संघ और**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[2] (2003) 2 SCC 632
[3] (2007) 11 SCC 522

अन्य[4] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया और तर्क प्रस्तुत किया कि नियोजन के संबंध में सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों की तुलना में उन व्यक्तियों को वरीयता दी जानी चाहिए जिन्होंने पहले ही प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है क्योंकि ऐसे प्रशिक्षित व्यक्ति जिन्होंने समय, ऊर्जा, धन आदि का निवेश किया है, उनकी अपेक्षाएं वैध हैं और इन्हें व्यर्थ नहीं जाने दिया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. इसी प्रकार, कुछ याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित श्री मतीन सिद्दीकी ने अधिवक्ता श्री राजीव श्रीवास्तव के तर्क का समर्थन करने के अतिरिक्त यह तर्क भी प्रस्तुत किया है कि पत्र दिनांक 13.2.2009, जो सभी जिलों में परीक्षा आयोजित करने का आधार है, स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव द्वारा जारी किया गया है और चूँकि यह पत्र उनके द्वारा मिशन निदेशक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, छत्तीसगढ़ को संबोधित किया गया है, इसलिए इसे सर्व शिक्षा अभियान की योजना के अंतर्गत नीति या निर्देश नहीं कहा जा सकता क्योंकि राज्य

[4] (1995) 2 SCC 1

सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग को ऐसा कोई परिपत्र जारी करने का अधिकार नहीं है और अधिक से अधिक इसे अनुच्छेद 162 की आवश्यकता के अनुसार ही राज्यपाल के नाम से जारी किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि रिट याचिका संख्या 2913/2009 के पत्र दिनांक 13.2.2009 (अनुलग्नक पी-4) में उल्लेख किया गया है कि जिला शिक्षा अधिकारी की अनुशंसा पर कई ऐसे व्यक्तियों को भी समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है जो योग्यता भी नहीं रखते हैं और सहायक अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं, हालांकि राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई उदाहरण नहीं दिया गया है। उन्होंने यह तर्क दिया कि कुछ याचिकाकर्ता प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हैं, लेकिन उन्हें भी परीक्षा में भाग लेने से बाहर रखा गया है, जबकि केवल इस वृत्ति में उनके अनुभव के आधार पर उन्हें परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए थी क्योंकि किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए तो वे शिक्षाकर्मी ग्रेड **II**, जिन्हें परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी गई है, से अधिक अनुभवी और योग्य हैं। उन्होंने तर्क दिया कि भारत संघ की सहमति के बिना, राज्य सरकार

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

समन्वयकों की नियुक्ति के लिए कोई प्रक्रिया नहीं अपना सकती। यह भी तर्क दिया गया है कि प्रधानाध्यापक और वरिष्ठ समन्वयकों को छोड़कर, नए व्यक्तियों को शिक्षा विभाग ग्रेड II के बीच से वरिष्ठ समन्वयक के रूप में नियुक्त किया जाएगाऔर स्थिति यह होगी कि वरिष्ठ शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को अपने कनिष्ठों के अधीन और विशेष रूप से शिक्षाकर्मियों के अधीन काम करना होगा, जो स्कूल शिक्षा विभाग का संवर्ग नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि उत्तरवादी संख्या 4 के उत्तर में यद्यपि यह उल्लेख किया गया है कि यदि समन्वयक भी परीक्षा में सफल होते हैं, तो उन्हें साक्षात्कार में भारांक दिया जाएगा, लेकिन कितना भारांक दिया जाएगा, यह स्पष्ट नहीं किया गया है और इस उद्देश्य के लिए कोई मानदंड तय नहीं किया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा धारित सहायक शिक्षक या प्रधानाध्यापक के पद पहले ही उन पदों पर शिक्षाकर्मियों की नियुक्ति करके भरे जा चुके हैं और सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति को समन्वयक के पद के विरुद्ध कहा जा सकता है और उन्हें अब पिछले पद पर शिक्षक नहीं

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माना जाएगा। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि कुछ याचिकाकर्ता प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यरत हैं और इसलिए, वे भी कक्षा आठ तक के छात्रों को पढ़ा सकते हैं। उन्होंने आगे तर्क दिया कि समन्वयकों की नियुक्ति के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया अभी भी वही है जो पहले याचिकाकर्ताओं के मामले में थी।

11. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता श्री पी.पी. साहू और श्री महेंद्र दुबे ने कुछ याचिकाओं में श्री राजीव श्रीवास्तव और श्री मतीन सिद्दीकी द्वारा प्रस्तुत तर्क को अपनाया है। हालाँकि, उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि एक निर्णय से सरकार 1996 के बाद से कार्यरत सभी समन्वयकों को नहीं हटा सकती और शिक्षा विभाग राजीव गांधी शिक्षा मिशन के मिशन निदेशक को समन्वयकों की भर्ती के लिए कोई कार्यप्रणाली विकसित करने का निर्देश नहीं दे सकता। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि यदि किसी सहायक शिक्षक ने समन्वयक के रूप में अनुभव प्राप्त कर लिया है, तो उसे परीक्षा में भाग लेने और पद पर बने रहने का पूरा अधिकार है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. इसके विपरीत, उत्तरवादी/राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान् अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री किशोर भादुड़ी और राजीव गांधी शिक्षा मिशन की ओर से उपस्थित श्री ए.एस. कछवाहा ने तर्क दिया कि यह उत्तरवादियों का अधिकार है कि वे विनिश्चय करें कि किसी विशेष पद को कैसे भरा जाए और इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाए। आगे यह भी तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति वर्ष 1996-97 में हुई थी और उस समय यह योजना केवल कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए थी, जबकि सर्व शिक्षा अभियान लागू होने के बाद कक्षा आठवीं तक के छात्रों को भी इस योजना में सम्मिलित कर लिया गया है और इसलिए उत्तरवादियों को वर्तमान समन्वयकों, जो या तो सहायक शिक्षक हैं या प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, से बेहतर परिणाम प्राप्त करने में कठिनाई हो रही थी। उत्तरवादियों ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि योजना को कक्षा आठवीं तक के छात्रों तक विस्तारित करने के बाद, प्रतिवादियों के सामने व्यावहारिक कठिनाई योजना के उचित कार्यान्वयन को लेकर आ रही है। उन्होंने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ताओं के पास स्नातक या

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

स्नातकोत्तर डिग्री या बी.एड. या बीटीआई डिग्री हो सकती है, लेकिन केवल इस डिग्री के आधार पर वे उच्च श्रेणी शिक्षक या शिक्षाकर्मी ग्रेड **II** के समकक्ष होने का दावा नहीं कर सकते। जहाँ तक प्रधानाध्यापक को परीक्षा में सम्मिलित होने से बाहर रखने का प्रश्न है, यह तर्क दिया गया है कि समन्वयक का कार्य ऐसा है कि उन्हें संकुल के विद्यालयों में ही आना-जाना पड़ता है और यदि प्रधानाध्यापक उक्त पद पर बने रहते हैं, तो इससे विद्यालय के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उनके अनुसार, प्रधानाध्यापकों को विद्यालय में ही रखा जाना चाहिए ताकि वे न केवल शिक्षा के क्षेत्र में, अपितु प्रशासनिक रूप से भी विद्यालय की उचित देखभाल कर सकें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. उत्तरवादियों के अधिवक्ता द्वारा आगे तर्क प्रस्तुत किया गया है कि शिक्षक का तात्पर्य रिट याचिका संख्या 2794/2009 के पत्र दिनांक 13.2.2009 (अनुलग्नक **R**-3/1) के आलोक में उच्च श्रेणी शिक्षक से है। अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री भादुड़ी ने इस न्यायालय का ध्यान उन दस्तावेजों की ओर आकर्षित किया है

जो दर्शाते हैं कि प्राथमिकता 5000-8000 रुपये के वेतनमान वाले शिक्षकों को दी जाती है जो स्नातक हैं या बीटीआई या बी.एड. पाठ्यक्रम पूरा कर चुके हैं। उन्होंने तर्क दिया है कि 5000-8000 रुपये का वेतनमान उच्च श्रेणी शिक्षक का है, न कि सहायक शिक्षक का, क्योंकि सहायक शिक्षक का वेतनमान 4000-6000 रुपये है और इसलिए, यद्यपि विज्ञापन में "शिक्षक" शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन शिक्षक का अर्थ केवल यूडीटी है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि सहायक शिक्षक के लिए मूल योग्यता मैट्रिकुलेशन/हायर सेकेंडरी है जबकि उच्च श्रेणी शिक्षक के लिए स्नातक है। उत्तरवादियों के अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि महासमुंद जिले के संबंध में विज्ञापन में ही योग्यता निर्धारित करते समय "यूडीटी" शब्द का उल्लेख किया गया है और इसलिए किसी भी परिस्थिति में सहायक शिक्षक या प्रधानाध्यापक को परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। आगे तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ताओं का मूल पद या तो सहायक शिक्षक, प्रधानाध्यापक या उच्च श्रेणी शिक्षक है और व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए ही उन्हें समन्वयक का

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अतिरिक्त कार्य सौंपा गया था। उन्होंने तर्क दिया कि समन्वयक के रूप में काम करते समय, याचिकाकर्ताओं की वेतनमान सहित सेवा शर्तों में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं आया है। उनके अनुसार, उनके नियुक्ति आदेश में ही स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि सहायक शिक्षक/प्रधानाध्यापक/उच्च श्रेणी शिक्षकों को समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है और इसके अलावा सेवा शर्तों में किसी भी बदलाव का कोई उल्लेख नहीं था। श्री भादुड़ी ने तर्क दिया कि यदि नए व्यक्तियों को समन्वयक के रूप में नियुक्त किया जाता है, तब भी याचिकाकर्ताओं की सेवा शर्तों में कोई बदलाव नहीं होगा और वे अभी भी अपने मूल पद पर काम करेंगे। उनके अनुसार उन्हें उनके मूल पद से नहीं हटाया गया है और उनका वेतन उसी स्कूल से आहरित होगा जहाँ वे पदस्थ थे और वे उसी स्कूल में उसी पद पर पदस्थ रहेंगे जहाँ वे पहले पदस्थ थे। @ उत्तरवादियों द्वारा आगे यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ताओं को समन्वयक के पद के विरुद्ध कोई भी विधिक अधिकार नहीं है क्योंकि भारत सरकार द्वारा इस योजना की

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

शुरुआत के बाद उन्हें समन्वयक का यह अतिरिक्त कार्य समनुदेशित किया गया था। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि किसी भी योजना को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करना राज्य सरकार का काम है और उक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, यदि सरकार कुछ बदलाव लाना चाहती है, तो वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है, बशर्ते कि वह याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों में कोई बाधा न डाल रही हो। उत्तरवादियों की ओर से आगे यह भी तर्क दिया गया है कि राज्य सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राजीव गांधी शिक्षा मिशन के मिशन निदेशक को पत्र दिनांक 13.2.2009 जारी किया गया है और उक्त विभाग के प्राधिकारी ऐसा पत्र जारी करने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं। यह तर्क दिया गया है कि सर्व शिक्षा अभियान का संचालन राजीव गांधी शिक्षा मिशन द्वारा राज्य के एक अभिकरण के रूप में किया जा रहा है। राजीव गांधी शिक्षा मिशन एक पंजीकृत निकाय है और इसके सदस्य सचिव स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव हैं, जो मिशन के पदेन निदेशक भी हैं। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि स्कूल शिक्षा विभाग परीक्षा आयोजित करने के लिए कोई निर्देश जारी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

नहीं कर सकता। परीक्षा आयोजित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है और यह जिला स्तर पर जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान (संक्षेप में "डाइट") द्वारा आयोजित की जाएगी।

14. पक्षकारों के अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया।

15. यह स्वीकृत तथ्य है कि डी.पी.ई.पी. की शुरुआत के समय समन्वयकों की नियुक्ति के लिए कोई परीक्षा या परीक्षण नहीं होता था और उनकी नियुक्ति जिला शिक्षा अधिकारी की अनुशंसाओं के आधार पर की जाती थी, जो जिला कलेक्टर द्वारा पुष्टि के अधीन होती थी। यह स्थिति वर्ष 2002-2003 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत के बाद भी जारी रही। अब पहली बार राज्य सरकार द्वारा उक्त उद्देश्य के लिए जिला स्तर पर एक परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है और यह परीक्षा डाइट द्वारा आयोजित की जा रही है। कुछ विज्ञापनों में उच्च श्रेणी शिक्षक और शिक्षाकर्मी ग्रेड II से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जबकि अन्य जिलों के विज्ञापनों में केवल शिक्षक शब्द

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

का प्रयोग किया गया है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि सहायक शिक्षक का मूल वेतन 4000-6000 रुपये है जबकि उच्च श्रेणी शिक्षक का 5000-8000 रुपये है। छत्तीसगढ़ सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 13.2.2009 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि संकुल शैक्षणिक समन्वयक के पद के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक, बी.एड., बी.टी.आई. (डी.एड.), प्रशिक्षित शिक्षक, जिनका वेतनमान 5000-8000 रुपये, अधिकतम आयु 55 वर्ष हो, जिनके पास व्यापक भ्रमण क्षमता और उत्तम स्वास्थ्य हो, के साथ प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव हो, को "शिक्षक" के पद पर नियुक्त किए जाने वाले अभ्यर्थियों में प्राथमिकता के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि केवल उच्च श्रेणी शिक्षक ही समन्वयक के पद पर नियुक्ति के पात्र हैं, न कि सहायक शिक्षक जिनका वेतनमान 4000-6000 है। इस प्रकार, मुझे याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के इस तर्क में कोई बल नहीं दिखता कि "शिक्षक" शब्द में सहायक शिक्षक और प्रधानाध्यापक दोनों अंतर्विष्ट हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. प्रकरण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू याचिकाकर्ताओं के समन्वयक के रूप में बने रहने के अधिकार से संबंधित है। यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ताओं का मूल पद या तो सहायक शिक्षक या प्रधानाध्यापक है और इसी पद पर उन्हें समन्वयक का कार्य सौंपा गया था। याचिकाकर्ताओं को केवल मानदेय दिया जा रहा है और एक बार जब राज्य सरकार यह स्वीकार कर लेती है कि याचिकाकर्ताओं का वेतन उनके मूल पदस्थापना के स्थान से ही आहरित किया जा रहा है और उन्हें उनके मूल पदस्थापना के स्थान पर वापस भेज दिया जाएगा, तो इस न्यायालय का यह सुविचारित अभिमत है कि याचिकाकर्ताओं की सेवा शर्तें किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होंगी। केवल इसलिए कि याचिकाकर्ताओं ने कुछ वर्षों तक समन्वयक के रूप में काम किया है, इससे उन्हें उक्त पद पर बने रहने का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. इन याचिकाओं में कुछ याचिकाकर्ता उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं और उनके अनुसार वे परीक्षा में बैठने के पात्र हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं करना चाहते। उनका दावा है कि उन्हें

समन्वयक के पद से हटाया नहीं जा सकता और राज्य सरकार उनके द्वारा पहले से धारित पदों को भरने के लिए कोई परीक्षा आयोजित नहीं कर सकती। यह न्यायालय याचिकाकर्ताओं के इस प्रतिपादन से एकमत नहीं है। यदि उच्च श्रेणी शिक्षक को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाती है, तो याचिकाकर्ता जो उच्च श्रेणी शिक्षक हैं, उन्हें भी परीक्षा में भाग लेना आवश्यक है।

18. मुझे याचिकाकर्ताओं के इस तर्क में कोई बल नहीं दिखता कि परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लेने से पहले राज्य सरकार को भारत संघ से पूर्व अनुमोदन लेना आवश्यक है। सर्व शिक्षा अभियान राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है और राज्य सरकार एक कार्यान्वयन अभिकरण होने के नाते इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अपना निर्णय लेने का पूरा अधिकार रखती है। इसके अतिरिक्त, भारत संघ ने समन्वयकों की नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट दिशानिर्देश नहीं दिए हैं और न ही उसे राज्य सरकार द्वारा उक्त पद पर कोई नियुक्ति करने पर कोई आपत्ति है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि समन्वयकों की

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित करने हेतु भारत संघ की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।

19. **<u>राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम लता अरुण</u>**[5] के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यह निर्धारित करना न्यायालयों का काम नहीं है कि किसी अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता को प्रकरण में निर्धारित योग्यता के समकक्ष माना जाना चाहिए या नहीं। उक्त निर्णय का प्रासंगिक अंश निम्नानुसार है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> **"**"इस मामले में दो बिंदु शामिल हैं: एक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के प्रतिबंध से संबंधित और दूसरा प्रवेश के उद्देश्य से हिंदी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद द्वारा जारी मध्यमा प्रमाणपत्र को +2 या टीडीसी के प्रथम वर्ष के समकक्ष या उससे अधिक के रूप में मान्यता देने से संबंधित। ये दोनों बिंदु राज्य सरकार या किसी विधि के तहत शक्तियों से निहित प्राधिकारी द्वारा लिए जाने वाले नीतिगत निर्णय के दायरे से संबंधित हैं। यह निर्धारित करना न्यायालयों का काम नहीं है कि किसी उम्मीदवार की किसी विशेष शैक्षिक योग्यता को इस मामले में निर्धारित योग्यता के समकक्ष माना जाना चाहिए या नहीं। इसका अर्थ यह नहीं है कि ऐसे मामले न्यायोचित नहीं हैं। किसी उपयुक्त मामले में

[5] (2002) 6 SCC 252

न्यायालय यह जांच कर सकता है कि क्या नीतिगत निर्णय या प्रकरण से संबंधित प्रशासनिक आदेश निष्पक्ष, तर्कसंगत और युक्तियुक्त आधार पर आधारित है; क्या निर्णय मामले के प्रासंगिक पहलू पर विचार करके लिया गया है; क्या शक्ति का प्रयोग दुर्भावनापूर्ण मंशा से किया गया है; क्या निर्णय का उद्देश्य प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों को उचित प्रशिक्षण देना है या यह अप्रासंगिक और तर्कहीन विचारों पर आधारित है या किसी व्यक्ति या उम्मीदवारों के समूह को लाभ पहुँचाने के लिए है।"

20. **जे. रंगा स्वामी बनाम आंध्र प्रदेश सरकार एवं अन्य**[6] के मामले में अपने पूर्व के निर्णय का अनुसरण करते हुए **दिलीप कुमार गर्ग एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य**[7] के मामले में भी उच्चतम न्यायालय द्वारा इसी तरह के विचार को दोहराया गया है, जिसमें अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रशासनिक अधिकारियों के पास प्रशासन का अनुभव है, और न्यायालय को इसका सम्मान करना चाहिए, और प्रशासनिक निर्णयों में तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि किसी संवैधानिक उपबंध या संविधि का स्पष्ट उल्लंघन न हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[6] (1990) 1 SCC 288
[7] (2009) 4 SCC 753

21. परिस्थितियों में बदलाव को देखते हुए, राज्य सरकार द्वारा समन्वयकों के रूप में अधिक योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति करना पूरी तरह से न्यायोचित है। सहायक अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों को परीक्षा में भाग लेने से रोकना एक नीतिगत मामला होने के कारण राज्य सरकार का विशेषाधिकार है और वर्तमान मामलों जैसे नीतिगत मामलों में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की गुंजाइश पर सर्वोच्च न्यायालय ने **भारत संघ बनाम पुष्पा रानी एवं अन्य**[8] के मामले में विचार किया है, जिसमें इस मामले पर विचार करते हुए निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "इस मामले के इस पहलू से पृथक होने से पहले, हम इस स्थापित विधिक स्थिति को दोहराना आवश्यक समझते हैं कि पदों के सृजन और उन्मूलन, संवर्गों के गठन और संरचना/पुनर्संरचना, भर्ती के स्रोत/तरीके और योग्यताएँ निर्धारित करने, चयन के मानदंड, कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों के मूल्यांकन से संबंधित मामले नियोक्ता के अनन्य अधिकार क्षेत्र में आते हैं। प्रशासन की दक्षता में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, यह भी नियोक्ता के अधिकार क्षेत्र में है। ऐसे मामलों में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब यह सिद्ध हो जाए कि नियोक्ता की कार्रवाई किसी संवैधानिक या वैधानिक प्रावधान के विपरीत है या

[8] 2008 AIR SCW 6564

स्पष्ट रूप से मनमानी है या दुर्भावना के कारण दूषित है। न्यायालय नियोक्ता के निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं कर सकता या यह आदेश नहीं दे सकता कि कोई विशेष पद सीधी भर्ती, पदोन्नति या स्थानांतरण द्वारा भरा जाए। न्यायालय की इसमें कोई भूमिका नहीं है। भर्ती की पद्धति निर्धारित करना या चयन के मानदंड निर्धारित करना भी न्यायालय के लिए खुला नहीं है। न्यायालय उम्मीदवारों की योग्यता का तुलनात्मक मूल्यांकन करने के लिए भी स्वतंत्र नहीं है। न्यायालय यह सुझाव नहीं दे सकता कि नियोक्ता को प्रशासन की दक्षता में सुधार के उद्देश्य से संवर्गों की संरचना या पुनर्गठन किस प्रकार करना चाहिए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. जैसा कि उत्तरवादियों/राज्य के अधिवक्ता ने बताया कि उच्च श्रेणी शिक्षक का मूल वेतनमान 5000-8000 है जबकि सहायक शिक्षकों का मूल वेतनमान 4000-6000 है। इस प्रकार, भले ही जिला बिलासपुर के विज्ञापन में "शिक्षक" शब्द का प्रयोग किया जा रहा हो, लेकिन यह याचिकाकर्ताओं को परीक्षा में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं देता है, विशेष रूप से दिनांक 13.2.2009 के पत्र के आलोक में। इसके अलावा, अन्य जिलों के संबंध में विज्ञापन में ही "उच्च श्रेणी शिक्षक" शब्द का उल्लेख किया गया है और यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सहायक शिक्षक परीक्षा में भाग लेने के हकदार नहीं हैं। इसके अलावा,

प्रधानाध्यापकों को परीक्षा में भाग लेने से रोकना पूरी तरह से सरकार का नीतिगत निर्णय है और इसलिए इस न्यायालय द्वारा इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

23. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्त का एक और तर्क यह है कि राज्य सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव द्वारा राजीव गांधी शिक्षा मिशन के मिशन निदेशक को जारी किया गया 13.2.2009 का पत्र मान्य नहीं है क्योंकि निर्विवाद रूप से राज्य सरकार के सचिव ही पदेन मिशन निदेशक हैं और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि स्कूल शिक्षा विभाग परीक्षा आयोजित करने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं कर सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. इसमें कोई विवाद नहीं है कि शुरुआत में सरकार की योजना केवल कक्षा 5वीं तक के छात्रों के लिए थी और अब सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत के बाद, कक्षा 8वीं तक के छात्रों को भी इस योजना में सम्मिलित कर लिया गया है। इसमें भी कोई विवाद नहीं है कि सहायक शिक्षकों की मूल योग्यता कक्षा 12वीं है और उन्हें कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को पढ़ाना अपेक्षित है। जैसे ही कक्षा 8वीं तक के

छात्रों को इस योजना में सम्मिलित कर लिया गया, तो उत्तरवादियों द्वारा अधिक योग्य समन्वयकों की नियुक्ति करने और इस प्रकार केवल उच्च श्रेणी शिक्षकों और शिक्षाकर्मी ग्रेड 2 से आवेदन आमंत्रित करने का निर्णय लेना न्यायसंगत है, जो किसी भी अवैधता से ग्रस्त नहीं है। इस समय, यह ध्यान देने योग्य होगा कि याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा उपर्युक्त यथौल्लिखित अवलंबित निर्णय, याचिकाकर्ताओं के लिए किसी भी तरह से सहायक नहीं हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. इस प्रकार, मामले के तथ्यों और विशेषताओं की पूर्वोक्त यात्रा को देखते हुए और इस तथ्य से भिज्ञ होते हुए कि विज्ञापन जारी करते समय राज्य सरकार ने विधि के किसी भी संवैधानिक या वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया है और सर्वोच्च न्यायालय के इस अधिदेश को पूरी तरह ध्यान में रखते हुए कि यदि नियोक्ता की कार्रवाई संवैधानिक और वैधानिक उपबंध के विपरीत प्रतीत होती है या स्पष्ट रूप से मनमानी या दुर्भावना के कारण दूषित है, तो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए, इस न्यायालय

का यह सुविचारित अभिमत है कि याचिकाएँ सारहीन हैं और इन्हें निरस्त किया जाना ही इनका एकमात्र परिणाम है।

24. तदनुसार, याचिकाएं निरस्त की जाती हैं ।

सही/-
प्रीतिंकर दिवाकर
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by Ratna Sahu, Advocate